राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :– प.1(1)कार्मिक/परिपत्र/2012/ 1914 दिनांक : 17/9/2012

–:: परिपत्र ::–

यह देखने में आया है कि राजकीय कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जो पत्र प्रेषित किये जाते है एवं टिप्पणी/नोट निर्णयार्थ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते है, उन पर प्रायः उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नही किये जाते है तथा केवल पद नाम ही अंकित कर दिया जाता है, जब किसी कारणवश उनके पद या अन्य विवरण की जानकारी आवश्यक हो अथवा जॉच की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की पहचान नही हो पाती है तथा जिससे जॉच में विलम्ब होता है एवं जॉच प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। मण्डल प्रशासन के फील्ड कार्यरत कार्मिको जैसे तकनीकी एवं वर्कचार्ज स्टाफ के मामले में इसका और भी गहरा असर होता है।

अतः मण्डल प्रशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एवं जवाबदेही प्रशासन की धारणा को मूर्तरूप देने के लिए यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में समस्त मण्डल अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिक राजकीय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान किसी पत्र, नोट एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक एवं अपना पूरा नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, जिससे प्रशासन में बेहतर पारदर्शी एवं जवाबदेही स्थापित हो सकें।

अन्य कार्मिक जो पत्र/आदेश आदि पर अपने पद नाम की मोहर लगाते है वे अपने नाम की मोहर भी अलग से पदनाम के ऊपर लगा सकते है अथवा नाम अंकित कर सकते है तथा उसके ऊपर अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर सकते है।

अतः मण्डल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयुर्क्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जावेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(टी. रविकान्त)
आवासन आयुक्त

D:\Hemant Computer 2012\Office Order 2012.rtf 160

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-</u>

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.मं., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-.................., राजस्थान आवासन मण्डल,................ ।
4. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अति.मुख्य नगर नियोजक/विशेषाधिकारी (भूमि)/उप सचिव/उप निदेशक (कम्प्यूटर)/वरिष्ठ लेखाधिकारी-I/II/III/IV/ भूमि अवाप्ति अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी/कार्मिक प्रबन्धक, रा.आ.मं., जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त-.................., राजस्थान आवासन मण्डल,................ ।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड-.................., राजस्थान आवासन मण्डल,................ ।
7 प्रकोष्ठ प्रभारी (मुख्यालय).. रा.आ.मं, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव

D:\Hemant Computer 2012\Office Order 2012.rtf 161